

क्रमांक: प.1(17)खान/मुप-1/2020

राजस्थान सरकार
खान (मुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक: 06/07/2021

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित सहायक खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से खनि अभियंता के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री लक्ष्मीनारायण	सामान्य	2020-21	01.04.2020
2.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा	अ.ज.जा.	2020-21	01.04.2020
3.	श्री सहदेव सारण	सामान्य	2020-21	01.04.2020
4.	श्री प्रशान्त बेदवाल	सामान्य	2020-21	01.04.2020
5.	श्री वेदप्रकाश	सामान्य	2020-21	01.04.2020
6.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	सामान्य	2020-21	01.04.2020
7.	श्री विनित गहलोत	सामान्य	2020-21	01.04.2020
8.	श्री भगवान सिंह	सामान्य	2020-21	01.04.2020
9.	श्री ललित मंगल	सामान्य	2020-21	01.04.2020
10.	श्री आरिफ मोहम्मद शेख	सामान्य	2020-21	01.04.2020
11.	श्री धीरज पंवार	सामान्य	2020-21	01.04.2020
12.	श्री श्याम कापडी	सामान्य	2020-21	01.04.2020
13.	श्री धर्मसिंह मीणा	अ.ज.जा.	2020-21	01.04.2020
14.	श्री नरेन्द्र खटीक	अ.जा.	2020-21	01.10.2020
15.	श्री चन्दन कुमार	अ.जा.	2020-21	01.10.2020
16.	श्री घनश्याम चौहान	अ.जा.	2020-21	01.12.2020

उक्त अधिकारियों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। अतः पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरांत ही पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अधधीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

—54—
(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

निर्देशित
06/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- ✓ 5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव